रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1971/फाल्गुन 28, 1892
No. 228] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1971/PHALGUNA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 18th March 1971

S.O. 1260.—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the following financial institution for the purposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1971 and any subsequent assessment year, namely:—

The Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited, Madras.

[No. 85/147(12)/70-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा निभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 18 मार्च 1971

का० आ० 1260—कम्पनी (लाभ) अतिकर, अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (v) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन को और से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड, मद्रास ।

[सं० 85/147(12) 70-टी०पी०एल०]

आर० एन० मुट्टु, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971